संख्या-103/2022/780/003-23-9-2022-14नाबार्ड(सेतु)-2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2022

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में विभिन्न जनपदों के 03 सेतुओं हेतु व्यपगत धनराशि के पुन: आवंटन के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1783/सा0-सेतु-31(व्यपगत)/2022-23, दिनांक 01.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 03 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-9 के अनुसार रू0 111.82 लाख(जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 88.10 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 23.72 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की व्यपगत धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत	वर्ष 2021-22 में व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
						अनु -057	अनु 0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्ती	जनपद बस्ती में विधान सभा हैरया के अन्तर्गत मनोरमा नदी पर एन0एच0-28 से भदावल से तपसीधाम होते हुए जगदीशपुर मार्ग के मध्य 3×18.75 मी0 के लघु सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	52/2022/143/23-9-2022-07नाबार्ड(सेतु)/2017, दि0 30.03.2022	552.62	53.84	42.41	11.43	53.84
2	लखनऊ	जनपद लखनऊ में नौरंगपुर से मलूकपुर मार्ग के कि0मी0 1 में 3×6×4 मी0 स्पान का बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड(सेतु)/2019, दि0 24.02.2020	235.42	22.98	18.11	4.87	22.98
3	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में दरेब सम्पर्क मार्ग के नयनदह नदी पर 6 सेतु मी0(5×5) आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण।	115/2021/645/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020, दि0 22.07.2021	113.94	35.00	27.58	7.42	35.00
योग						**88.10**	**23.72**	**111.82**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 88,10,000 (रुपये अट्ठासी लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 23,72,000 (रुपये तेईस लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन

संख्या-103/2022/780(1)/003-23-9-2022-14नाबार्ड(सेतु)-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, बस्ती/लखनऊ/सोनभद्र ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती/लखनऊ/सोनभद्र।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in